झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

संकल्प

विषय:- झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के गठन के घटनोत्तर स्वीकृति के सम्बंध में।

1) भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-भ०/स्था०-विविध-22/2015-3427(भ), दिनांक-9.11.2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम का गठन पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-16.11.2015 में मद संख्या-33 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

2) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सृजित अभियंत्रण कोषांगों (इंजीनियरिंग सेल) को समायोजित करने तथा व्यापक पैमाने पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों का सम्पादन भवन निर्माण निगम द्वारा कराये जाने एवं विभिन्न विभागों से संबंधित निर्माण कार्यों का सम्पादन, प्रक्रिया की एकरूपता, गुणवत्ता एवं योजनाबद्ध परियोजना प्रबंधन के निमित्त भवन निर्माण निगम के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है।

3) झारखण्ड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना जी0एस0आर0-1235 दिनांक-13 जुलाई, 2015 के द्वारा भवन निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में बढ़ोत्तरी किया गया है, ऐसी स्थिति में भवन निर्माण विभाग के अलावा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम का गठन किया गया है।

4) झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :-

i) राज्य के भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत किये जाने वाले महत्वपूर्ण भवन निर्माण कार्यों का सम्पूर्ण निष्पादन यथा- कन्सेप्ट प्लानिंग, डिजाईनिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल, संवेदक चयन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं प्रोजेक्ट कॅम्पलीशन आदि।

ii) राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर भी यदि कोई कार्य मिलता है तो उन परियोजनाओं में भी भवन निर्माण निगम कार्य कर सकेगा।

5) भवन निर्माण निगम के निदेशक मंडल (Board of Directors) के पदेन अध्यक्ष भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव/सचिव होंगे, जबकि प्रबंध निदेशक Professional होंगे।

6) झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम का निदेशक मंडल निम्नवत् होगा:-

I. अध्यक्ष
II. प्रबंध निदेशक
III. प्रधान सचिव/ सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
IV. प्रधान सचिव/ सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग
V. प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग
VI. प्रधान सचिव/ सचिव, उर्जा विभाग
VII. प्रधान सचिव/ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(38)

VIII. प्रधान सचिव/ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

IX. प्रधान सचिव/ सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

7) झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति आदि के लिए निदेशक मंडल सक्षम होगा।

8) निगम का निबंधन कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत कराया जाएगा। कम्पनी अधिनियम के तहत इसका अंकेक्षण कराया जाएगा, जिसके लिए समय-समय पर चार्टर्ड एकाउटेंट की सेवा ली जाएगी। भवन निर्माण निगम का शेयर कैपिटल 2.00 करोड़ रूपये होगा।

9) झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से,

24/11/15

(कमल किशोर सोन),
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक- भ०/स्था०-विविध-22/2015 3514 (भ) रॉंची, दिनांक- 24.11.15

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

24/11/15

(कमल किशोर सोन),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भ०/स्था०-विविध-22/2015 3514 (भ) रॉंची, दिनांक- 24.11.15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार/ सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुलग्नक सहित प्रेषित।

24/11/15

(कमल किशोर सोन),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भ०/स्था०-विविध-22/2015 3514 (भ) रॉंची, दिनांक- 24.11.15

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/15

(कमल किशोर सोन),
सरकार के सचिव।